छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सेक्टर – 19,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002

Email - hocecb@gmail.com

क्रमांक /मु./छ.ग.प.सं.मं./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2025

:: कार्यालय आदेश ::

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 24/02/2016 के माध्यम से सभी उद्योग/संस्थान/परियोजना/कार्यकलाप/खदान आदि को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् क्रमशः जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण प्रदान करने के अधिकार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ओ.एम. क्रमांक क्यू.–15012/2/2022–सीपीडब्ल्यू–पार्ट(1)/ई–240741 दिनांक 14/01/2025 जारी किया गया है। उक्त ओ.एम. के अनुसार परियोजनाओं/कार्यकलापों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिमत प्रेषित किया जाना है। इस अभिमत में प्रोजेक्ट साईट का विवरण, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तथा प्रोजेक्ट के लिये निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों का समावेश किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में मंडल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 11294 दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से सूचित किया गया है।

उक्त ओ.एम. क्रमांक क्यू.–15012/2/2022–सीपीडब्ल्यू–पार्ट(1)/ई–240741 दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पूर्व में निर्देशित कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही भी की जावे :–

1. वृहद एवं मध्यम श्रेणी के परियोजनाओं/कार्यकलापों जिनका प्लांट एवं मशीनरी में कुल निवेश रूपये 5 करोड़ से अधिक है, के प्रकरणों में निर्धारित सम्मति शुल्क सहित आवेदन मुख्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित तकनीकी शाखा द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी के प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रोजेक्ट साईट का विवरण, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तथा प्रोजेक्ट के लिये निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों, प्रस्तावित/अधिरोपित की जाने वाली शर्तो तथा अन्य आवश्यक तथ्यों/जानकारियों सहित अभिमत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने बाबत् प्रकरण अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्ति उपरांत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2. लघु श्रेणी के परियोजनाओं/कार्यकलापों जिनका प्लांट एवं मशीनरी में कुल निवेश रूपये 5 करोड़ से कम है, के प्रकरणों में निर्धारित सम्मति शुल्क सहित आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट साईट का विवरण, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तथा प्रोजेक्ट के लिये निर्धारित पर्यावरणीय

सुरक्षात्मक उपायों, प्रस्तावित/अधिरोपित की जाने वाली शर्तो तथा अन्य आवश्यक तथ्यों/जानकारियों सहित अभिमत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ प्रेषित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

3. पूर्व जारी आदेश क्रमांक 11294 दिनांक 28/02/2025 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में अधिरोपित शर्तों के पालन के संबंध में उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से मांगी जाती है। ऐसे प्रकरणों में भी लघु श्रेणी के परियोजनाओं/कार्यकलापों जिनका प्लांट एवं मशीनरी में कुल निवेश रूपये 5 करोड़ से कम है, की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ प्रेषित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 5977 /मुख्या./छ.ग.प.सं.मं./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/9/2025

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति - 1, 2 एवं 3 पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई-दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अम्बिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है कि उक्त आदेश को मंडल की वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सूचना पटल।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

सुरक्षात्मक उपायों, प्रस्तावित/अधिरोपित की जाने वाली शर्तो तथा अन्य आवश्यक तथ्यों/जानकारियों सहित अभिमत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ प्रेषित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

3. पूर्व जारी आदेश क्रमांक 11294 दिनांक 28/02/2025 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में अधिरोपित शर्तों के पालन के संबंध में उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से मांगी जाती है। ऐसे प्रकरणों में भी लघु श्रेणी के परियोजनाओं/कार्यकलापों जिनका प्लांट एवं मशीनरी में कुल निवेश रूपये 5 करोड़ से कम है, की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ प्रेषित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क. 5977 /मुख्या./छ.ग.प.सं.मं./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/9/2025

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति - 1, 2 एवं 3 पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई-दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अम्बिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है कि उक्त आदेश को मंडल की वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सूचना पटल।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)